मंगत राम

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 182/2008)

25 जनवरी, 2008

(सी. के. ठक्कर एवं डी. के. जैन, जे. जे.)

उच्च न्यायालय का आदेश-आपराधिक अपील को खारिज करना "अनुसरण करने के कारणों" का अवलोकन-प्रतिपादित: उच्च न्यायालय को कारण दर्ज किए बिना अपील का निपटारा नहीं करना चाहिए- उच्चतम न्यायालय ने मामले और रिकॉर्डिंग के बिना अंतिम आदेशों को पारित करने की निंदा की है।- इस तरह के निर्णय के समर्थन में कारण-इस बात पर जोर दिया गया है कि जब मामला अदालत द्वारा तय किया जाता है, तो कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।- इस तरह के निर्णय के समर्थन में- यह उचित होगा और वांछनीय होगा यदि उच्च न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे आदेशों के समर्थन में कारण दर्ज करने के बाद ही अंतिम आदेश पारित किया जाता है।

अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र होगा-उच्च न्यायालय को अपने गुण-दोष पर विचार करने दें और एक उचित आदेश पारित करने दें-जमानत-न्याय प्रशासन न्याय-अभ्यास और प्रक्रिया।

ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य। [2004] 4 एस. सी. सी. 158; पंजाब राज्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी [1984] 1 एस. सी. सी. 596; पंजाब राज्य बनाम सुरिंदर कुमार [1992] 1 एस. सी. सी. 489-पर भरोसा किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 182/2008

आपराधिक अपील संख्या 592-एस. बी., वर्ष 1997 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 3.5.2007 से

सतिंदर एस. गुलाटी और कमलदीप नारंग अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी के लिए राजीव गौर "नसीम" और टी. वी. जॉर्ज।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया था

1. अनुमित प्रदान की गई।

2. 30 नवंबर, 2007 को जब मामला स्वीकार सुनवाई के लिए रखा

गया तो इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

"विलम्ब क्षमा किया गया।जमानत के आवेदन की तरह विशेष अनुमति याचिका पर भी नोटिस जारी करे। नोटिस में बताया जाए कि इस स्तर पर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा क्यों नहीं किया जाना चाहिए।"

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि 3 मई, 2007 को आपराधिक अपील संख्या 592. एस.बी. 1997 को मोशन याचिका के रूप में दिखाया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि मामले को नियमित अंतिम सुनवाई के लिए नहीं रखा गया था। हालांकि, इसे अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया था। श्रीमती गुरप्रीत कौर ढिल्लों, अधिवक्ता को अभियुक्त के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसकी सुनवाई की गई और मामले का निपटारा किया गया।उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जो पारित किया गया था, निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता हैः

"उपस्थित श्रीमती रितु पुंज, डीएजी, हरियाणा श्रीमती गुरप्रीत कौर ढिल्लों, अधिवक्ता न्यायमित्र के रूप में नियुक्त की गई सुना गया खारिज कर दिया गया।" (जोर दिया गया)

4. 1997 की आपराधिक अपील संख्या 592-एस. बी. में उच्च

न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से विद्वान वकील द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि हरियाणा राज्य के लिए उपमहाधिवक्ता उपस्थित थे। अभियुक्तों के लिए श्रीमती हरप्रीत कॉर, वकील को उस तिथि पर एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया था। उसी दिन, मामला खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने खारिज करने का उल्लेख किया, पालन करने योग्य कारण।

5. हमारी राय में, अपीलार्थी के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि उच्च न्यायालय को कारण दर्ज किए बिना अपील का निपटारा नहीं करना चाहिए था। इस न्यायालय ने इस तरह के निर्णय के समर्थन में कारणों को दर्ज किए बिना मामलों के निपटारे की प्रथा की निंदा की है।इस बात पर जोर दिया गया है कि जब किसी मामले का निणर्य न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो ऐसे निर्णय के समर्थन में कारण दर्ज किए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारण अस्तित्व में नहीं थे, अप्रासंगिक, असंगत आदि थे। दूसरी ओर, सफल पक्ष न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों का समर्थन कर सकता है अंत में, सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर भी विचार कर सकता है कि क्या न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समर्थन में दर्ज किए गए कारण कानून के अनुरूप थे और क्या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।यदि अंतिम आदेश बिना किसी

कारण के है, तो कई सवाल उत्पन्न हो सकते हैं और कार्यवाही के पक्षकारों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के लिए किसी न किसी तरह से मामले का निर्णय करना मुश्किल होगा। इसलिए इस न्यायालय ने ऐसे आदेश के समर्थन में कारणों को दर्ज किए बिना अंतिम आदेश सुनाने की प्रथा की निन्दा की है।

6. दो दशकों से भी पहले, पंजाब राज्य बनाम. जगदेव सिंह तलवंडी, (9184) 1 एस. सी. सी. 596, में न्यायालय ने कहा है कि "हम इस अवसर पर यह बताना चाहेंगे कि उच्च न्यायालयों द्वारा बिना किसी तर्कसंगत निर्णय के अंतिम आदेश सुनाने की बढती प्रथा के कारण गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यह वांछनीय है कि अंतिम आदेश जिसे उच्च न्यायालय पारित करना चाहता है, इसकी घोषणा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि कोई तर्कपूर्ण निर्णय सुनाने के लिए तैयार न हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के अंतिम आदेश की घोषणा उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है कि एक घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, या आदेश के विरुद्ध एक बच्चे की अभिरक्षा एक माता-पिता को सौंप दी जाएगी, या कि एक गंभीर अपराध का आरोपी व्यक्ति आरोप से बरी किया जाता है, या कि कोई क़ानून असंवैधानिक है या, जैसे तत्काल मामले में है, किसी बंदी को रिहा कर दिया जाता है। यदि इस तरह के आदेश पारित करने का उद्देश्य उनका शीघ्र अनुपालन

सुनिश्चित करना है तो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पीडित पक्ष द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने से अक्सर यह उद्देश्य विफल हो जाता है। यह इस न्यायालय को दुविधा में डालता है क्योंकि, उच्च न्यायालय के तर्क के लाभ के बिना, मात्र आदेश को लागू करने की अनुमति देना इस न्यायालय के लिए मुश्किल है। परिणाम अनिवार्य रूप से यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को तर्क संगत निर्णय आने तक स्थगित करना पडेगा।

7. इस तरह के आदेशों के समर्थन में कारणों को दर्ज किए बिना, अंतिम आदेश पारित करने पर इस न्यायालय की स्थिति पर चर्चा करते हुए इस न्यायालय ने कहा है किः

> "यह सोचा जा सकता है कि ऐसे आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाते हैं और इसलिए कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय भी एेसा न करे। हम सम्मानपूर्वक बताना चाहेंगे कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम हैं और उनके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय हमारे न्यायालयों के पदानुक्रम में अंतिम न्यायालय है। इसके अलावा, असाधारण परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा बिना किसी तर्क संगत निर्णय के पारित आदेश बहुत ही दुर्लभ हैं। उच्च न्यायालय

द्वारा पारित आदेश संविधान के अनुच्छेद 136 और संबंधित कानून के अन्य प्रावधान के तहत इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। हमने विचार किया कि यह टिप्पणियों करना आवश्यक है, ताकि जो अभ्यास बहुत वांछनीय नहीं है और जो कोई उपयोगी उद्देश्य प्राप्त नहीं करता है, वह अपनी वतर्मान शैशवावस्था से आगे न बढ़ सके।"

(जोर दिया गया)

8. इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम सुरिंदर कुमार (1992) 1 एस. सी. सी. 489 में दोहराया गया था। इस न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थिति को अलग करते हुए, न्यायालय ने कहाः

"किसी आदेश के लिए कारण निर्धारित करने की आवश्यकता के प्रश्न पर उस न्यायालय और अन्य न्यायालयों के बीच के अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसका निर्णय आगे अपील के अधीन नहीं है। किसी फैसले के समर्थन में आधारों का खुलासा करने और उन पर चर्चा करने का एक मुख्य कारण चुनौती की स्थिति में उच्च न्यायालय को इसकी जांच करने में सक्षम बनाना है। निस्संदेह, प्रत्येक आदेश या निणर्य के लिए कारण निर्दिष्ट करना वांछनीय है, लेकिन इस न्यायालय के मामले में

यह आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। इसलिए यह सुझाव देना व्यर्थ है कि यदि इस न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है, जो स्पष्ट रूप से विवादित आदेश के समान प्रतीत होता है, तो उच्च न्यायालय भी ऐसा कर सकता है।"

(जोर दिया गया)

9. ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य व अन्य, (2004) 4 एस. सी. सी. 158 में उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद यह संकेत देते हुए इसे खारिज करने का निर्देश दिया कि उचित कारण बताए जाऐंगे। जब मामला इस न्यायालय में पहुँचा, तो न्यायालय ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया कि उसे जल्दबाजी के लिए कोई ठोस कारण नजर नहीं आया। जगदेव सिंह तलवंडी का उल्लेख करते हुए और यह देखते हुए कि कभी-कभी यह न्यायालय भी ऐसा आदेश देता है, न्यायालय ने कहाः

"यह सोचा जा सकता है कि इस तरह के आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाते हैं और इसीलिए कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इंगित करना चाहते हैं, कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम हैं और उनके खिलाफ आगे कोई अपील नहीं की जा सकती।

सर्वोच्च न्यायालय हमारे न्यायालयों के पदानुक्रम में अंतिम न्यायालय है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, संविधान के अनुच्छेद 136 और संबंधित कानून के अन्य प्रावधान के अधीन है। हमने सोचा कि ये टिप्पणीयां करना आवश्यक है, ताकि एक अभ्यास जो बहुत वांछनीय नहीं है और जो कोई उपयोगी उद्देश्य प्राप्त नहीं करता है, वह अपनी वर्तमान शैशवावस्था से आगे और आगे न बढ़ सके।"

(जोर दिया गया)

10. हमारी सुविचारित राय में, यह उचित और वांछनीय होगा कि यदि उच्च न्यायालयों सहित सभी न्यायालय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखें और आदेशों के समर्थन में कारण दर्ज करने के बाद ही अंतिम आदेश पारित करें।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में दायर की गई अपील में चुनौती दिए गए आदेश पारित करने से पहले अपीलार्थी-अभियुक्त पूरे समय जमानत पर रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि यह न्यायालय अपीलकर्ता को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करने के लिए एक उचित आदेश पारित कर सकता है जो यह न्यायालय उचित समझे।

12. हालाँकि, हमारी राय में, यह उचित नहीं होगा कि जब हम मामले को उच्च न्यायालय को भेज रहे हों तो एेसा आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। तथापि, हम अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी प्रार्थना करने की स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। उच्च न्यायालय को अपने गुणदोष के आधार पर विचार करने दें और एक उचित आदेश पारित करने दें।

13. उपरोक्त टिप्पणीयों के साथ अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया जाता है। पक्षों को सुनने के पश्चात विधि अनुसार विनिश्चय करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

14. इस मामले से अलग होने से पहले हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणदोष पर विचार नहीं किया है और यह नहीं समझा जावे कि हमने मामलों के मुद्दों पर एक या दूसरे तरीके से कोई राय व्यक्त की है। उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर अपील पर फैसला करे।

15. तदनुसार आदेश दिया।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. संजय कुमार गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा

किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।